

1239
2/12/13

मा० १२/१३

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चास (बोकारो)

लगान धार्य अभिलेख संख्या:- ०६/२०३-५


दिनांक	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3
3/10/13	<p>आदेदक श्री आशुतोष महतो पिता स्व० नुइयॉ महतो सा० तेलीडीह साईड चास ने आवेदन समर्पित कर दो पर्चा के माध्यम से D.P.L.R. द्वारा आवंटित भूमि मौजा तेलीडीह थाना नं० 34 खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1247, 1629 कुल रकवा 97 डी० भूमि का लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। इस संबंध में हल्का कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा तेलीडीह थाना नं० 35 खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1247 रकवा 2.60 एकड़ प्लॉट नं० 1629 रकवा 0.32 एकड़ भूमि गत सर्व खतियान में रैयती दर्ज है। उक्त खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1247, 1629 में रकवा 0.97 ए० भूमि विहार सरकार (उद्योग विभाग), निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुर्नवास धनवाद द्वारा बोकारो स्टील कारखाने में विरथापित को पुर्नवास क्षेत्र में गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो पिता नुईया महतो को पुर्नवास पर्चा आवंटित है। पहला फृथ में रकवा 0.80 ए० एवं दुसरे पर्चा में 0.17 ए० कुल 0.97 ए० भूमि सम्मिलित है। आवंटित भूमि पर पर्चाधारी का मकान एवं सहन है जो चाहरदीवारी से घिरा हुआ है। आवंटित भूमि वनसीमा/सैरात/भूदान के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः पर्चाधारी पुर्नवास रैयत के नाम से लगान धार्य हेतु अनुशंसा की जा सकती है। लगान धार्य रांकधी प्रपत्र प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। उक्त प्रपत्र में निम्न बातें अंकित की गई हैं। पर्चाधारी पुर्नवास रैयत का नाम गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो, पिता नुईया महतो वर्तमान रैयत का नाम (1) श्रीमति वालिका देवी पति शशधर महतो (2) आशुतोष महतो पिता, नुईया महतो (3) जिमतु महतो पिता स्व० राधानाथ महतो सा० तेलीडीह साईड मौजा तेलीडीह थाना नं० 34 खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1247, 1629 रकवा 0.97 ए० किरण जमीन मकान सहन लगान 10.00 रुपये प्रति एकड़ प्रस्तावित लगान 9.70 रुपये। साथ ही हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पर्चाधारी गंगाधर महतो ने श्रीमति वालिका देवी को केवाला नं० 2242 दिनांक 8.3.88 से विक्री किये हैं। गंगाधर महतो नावलद फौत कर चुके हैं। आशुतोष महतो जीवित है। राधानाथ महतो की मृत्यु हो चुकी है उनके एक</p>	

J. Makto

मात्र पुत्र जिमतु महतो है। अंचल मिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संलग्न पुर्नवास परचा के आधार पर क्रमशः 80 डी० एवं 17 डी० भूमि जो कि विस्थापित रैयत गंगाधर महतो, आसुतोष महतो वो राधानाथ महतो के नाम पर केश. नं० 24/62-63 के अन्तर्गत पुर्नवास हेतु आवंटित है। उक्त परचा का सत्यापन परियोजना भूमि एवं पुर्नवास कार्यालय बोकारो से कराया जा सकता है। साथ ही अंचल अभीन सं आवंटित भूमि का ट्रैश नवरा तीन प्रति में दखल प्रतिवेदन सहित प्राप्त किया जा सकता है। तदनुराग विविध वाद प्रारम्भ कर लगान निर्धारण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अतः प्रतिवेदन के आलेक में परियोजना भूमि एवं पुर्नवास कार्यालय बोकारो से सत्यापन प्रतिवेदन की मांग करें तथा अंचल अभीन से दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन की मांग करें। तथा इस संबंध में आम सूचना निर्गत करें।

अंचल अधिकारी,
चास।



12-39
2/12/13



पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर

2/11/13


2 अभिलेख उपस्थापित। आम सूचन का तामिल प्रतिवेदन प्राप्त है। निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के पत्रांक 480 दिनांक 25.10.2013 द्वारा प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो पिता स्व0 नुईयॉ महतो को पुनर्वास क्षेत्र तेलीडीह, थाना नं0 34 खाता नं0 43 प्लॉट नं0 1247 अंश पुनर्वास प्लॉट नं0 180 रकवा 0.17 एकड़ परचा संख्या 40 एवं खाता नं0 43 प्लॉट नं0 1247 अंश, 1629 अंश पुनर्वास प्लॉट नं0 181, 182, 183 रकवा 0.80 एकड़ परचा संख्या 2045 निर्गत किया गया है। साथ ही अंचल अमीन का प्रतिवेदन भी प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के द्वारा समर्पित दो परचा के माध्यम से D.P.I.R. द्वारा आवंटित भूमि मौजा तेलीडीह थाना 34 खाता नं0 43 प्लॉट नं0 1247, 1629 रकवा 0.97 ए0 भूमि मापी किया जिस पर आवेदक का घर एवं चाहरदिवारी इटा से धेरा हुआ है। उक्त भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। मापी की गई भूमि का नक्शा पर लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रतिवेदन के साथ ट्रेश नक्शा भी सलग्न है।

अतः उपरोक्त सारे तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा की जाती है। अतः अग्रतर कार्रवाई हेतु अभिलेख गूत में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास को भेजें।

J. Mahto

कुल्लू नगर परिवार
7/12/13

12 अक्टूबर 14-प्रारंग रु. 10.50.



2 अक्टूबर
कम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आ
कार्यालय के द्वारा ने
दिए
तारीख के साथ।

18/10/14 अभिलेख उपरथापित।

अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1475 द्वारा आवेदक श्री आशुतोष महतो पिता—स्वर्ण नुईयाँ महतो, साठे-तेलीडीह साईड, चास, जिला-बोकारो का लगान निर्धारण से संबंधित अभिलेख संख्या—06/2013-14 प्राप्त हुआ है जो मौजा-तेलीडीह, थाना नं०-34 के अन्तर्गत खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247, 1629 रकवा 0.97 एकड़ भूमि से संबंधित है।

अंचल अधिकारी, चास द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-तेलीडीह थाना नं०-34, खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247 रकवा 2.60 एकड़ एवं प्लॉट नं०-1629 रकवा 0.32 एकड़ भूमि जहां सर्वे खतियान में रेखती दर्ज है। उक्त खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247, 1629 में रकवा 0.97 एकड़ भूमि विहार सरकार (उद्योग विभाग) निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुनर्वास धनवाद द्वासा बोकारो स्टील कारखाने में विस्थापित को पुनर्वास क्षेत्र में गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो पिता—नुईयाँ महतो को पुनर्वास पर्यावार आवंटित है। पहला पर्यावार में रकवा 0.80 एकड़ एवं दूसरे पर्यावार में 0.17 एकड़ कुल 0.97 एकड़ भूमि सम्मिलित है। आवंटित भूमि पर पर्याधारी का मकान एवं सहन है जो चाहरदीवारी से घिरा हुआ है। आवंटित भूमि वनसीगा/सैरात/भूदार के अन्तर्गत नहीं आता है।

अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1391 दिनांक 07.10.2013 के क्रम में निम्नलिखित परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के पत्रांक 480 दिनांक 25.10.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो पिता—नुईयाँ महतो को पुनर्वास क्षेत्र तेलीडीह, थाना नं०-34 खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247 एवं पुनर्वास प्लॉट नं०-180 रकवा 0.17 एकड़ परवा संख्या-40 एवं खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247 अंश, 1629 अंश पुनर्वास प्लॉट नं०-181, 182, 183 रकवा 0.80 एकड़ परवा संख्या-2045 निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, चास द्वारा लगान निर्धारण हेतु विहित प्रक्रिया में अभिलेख प्राप्त है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा प्रति एकड़ 10.00 (दस) रुपये प्रतावित लगान 9.70 रुपये अलावे शेष की दर से लगान निर्धारण की त्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।

अंचल अधिकारी, चास के उपरांक्त प्रतिवेदन के आधार पर मौजा-तेलीडीह, थाना नं०-34 के अन्तर्गत खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247, 1629 रकवा 0.97 एकड़ भूमि प्रति एकड़ 10.00 (दस) रुपये प्रत्तावित लगान 9.70 रुपये अलावे शेष की दर से भूमि सुधार अधिनियम की धारा 1950 रोक्सन 5, 6, 7 के तहत लगान निर्धारण करने के लिए दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहता

18/10/14
P. Mahto

भूमि सुधार उपसमाहता
चास।

अंचल अधिकारी का कायालय, चास (बोकारी)

क्रमांक:- ३१५ /

दिनांक:- १४.१२.२०१८

शु-सत्यापन प्रमाण पत्र

श्री विजय कुमार तेज़ी..... हेत्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, चास के जोच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आदेदित शूष्मि भौजा..... टीली डी.ए..... थारा नं. ३५..... के खाते नं. ५३..... लॉट नं. १२५ एवं १६२..... रकवा..... ०.९३ लौ. भूमि पूर्वी दृश्य पर्वती के प्राप्ति..... खाते की शूष्मि है। पंजी II में जगाबंदी संख्या ५५३५ पर अशुष्मिता गम्भीर, अनुभवित गम्भीर, २०८८.८.२५.२०१८..... तिथि चास के नाम से जगाबंदी कावय है तथा यालगुजारी रसीद वर्ष २०१३-१४ हवा निर्गत है।

अंचल अधिकारी
चास।
प्रमाण पत्र
१४.१२.२०१८

P Mehta

निदेशालय, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो।

पत्रांक ४८०

प्रेषक :- निदेशक,
परियोजना भूमि एवं पुनर्वास,
बोकारो।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
चास।

बोकारो/दिनांक : 25/X/2015

विषय :- सत्यापन प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पंत्रांक - 1391 दिनांक 07.10.2013।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो पिता स्व० नुईयाँ महतो को पुनर्वास क्षेत्र -- तलीडीह थाना नं० - 34, खाता नं० - 43, प्लॉट नं० - 1247 अंश, 1629 अंश, पुनर्वास प्लॉट नं० - 180, रकवा - 0.17 एकड़ परचा संख्या - 40 एवं खाता नं० - 43 प्लॉट नं० - 1247 अंश, 1629 अंश, पुनर्वास प्लॉट नं० - 181,182,183, रकवा - 0.80 एकड़ परचा संख्या - 2045 निर्गत किया गया।

विश्वासभाजन

निदेशक
25/10/15

परियोजना भूमि एवं पुनर्वास
बोकारो।
25/10/15



T. Mahato

ग्राम - वैदिकीडी
पर्सनल नं - ३५

भाग - पास (पीछजोरा)
अंचल - पास
जिला - बोकारो
रोड नं १६ = १४०

तेंदौमालम परियोजना युक्त इकुंपुतर्वास
क्रमांक नं - ४०, २०४५

आवंटितीविहारीपत्र का नाम इकुंपुतर्वा

(१) गंगाधर महले, आखुलीष भवते, राधानाथ जस्ते
पिंड - इकुंपुतर्वा महले शेष वॉयेगोद्दा पर छोड़



रोड नं	लोट नं	फैक्टरी
४३	१२४७	०.१७
४३	१२४७	०.८०

३० - अर्द्धे लोट १२४७ बंदा

५० - खालील लड्डा

५० - नेपारला निक्का

५० - (लोट नं २३०३ नीज आवंटित जगह
वॉयेगोद्दा नीवा



32715 ८५.५

T. Nalho

अधिकारी
ज्ञान संस्कृति

भारत सरकार
Government of India



Issue Date: 07/08/2011



जीमूत महो
Jimut Mahato
जन विधि/DOB: 21/01/1977
पुरुष / MALE

7919 7248 1156

VID : 9110 3257 1231 4763

मेरा आधार, मेरी पहचान

J. Mahato

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राप्तिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
S/O राधा नाथ महतो, 161, PO -
PINRAJORA, BANDHIGORA, BOKARO,
JHARKHAND - 822013

Address:
S/O Radha Nath Mahato, 161, PO -
PINRAJORA, PS., PINRAJORA,
BANDHIGORA SIDE, Bokaro,
Jharkhand - 822013

7919 7248 1156

VID : 9110 3257 1231 4763

1047

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

CHAS MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संम्पत्ति कर की सूचना।

Memo No.: 913610220723113704

Date : 22-07-2023

प्रभावी : द्वितीय तिमाही 2023-2024

श्री/श्रीमती/सुश्री JIMUT MAHTO S/O RADHA NATH MAHATO,

मोहल्ला TELIDH CHAS

BOKARO , 827013

7717723161

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0290001133000M0 वार्ड सं. 29 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना

क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	425.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		425.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, CHAS MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली केंद्रिक 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हिंदायगत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान बैंकासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धूति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियातय दी जाएगी।
- वित्तीय धूति को निर्देश समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिनाह की दर से साधारण व्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं कोई गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली केंद्रिक 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- CHAS MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ठांचों को कोई कानूनी हस्तियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दटलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नंबरों का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print

P. Mahto

बिहार सरकार

(उद्योग विभाग)

क्रमांक

40

निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुनर्बास, धनबाद

हरला रनाइ बाकारो स्टील कारखाने के विस्थापितों को पुनर्बास क्षेत्र में वार्षिक जमीन का पता।

गंव का नाम तेलीडू धनबाद क्षेत्र या छाँका - घाता नं० ३४ घाता ८५ दाकघर दायरा जिला अधिकारी

- १ वार्षिक विस्थापित का नाम एवं पता ठाणा चूर्ण अहसो, आसुरेष भट्टरा
२ पिंडी/पर्ति का नाम श्रीद्वयनाथ अहसो (पिंडी नुवासा अहसो उमोली तेलीडू)
३ सर्वे घाता नं० ४५ लेसरा नं० १२४ दिल्ली १६२ लालकुद
४ पुनर्बास ज्लौट सं० १२०
५ वार्षिक रकमा
६ ए० रु० ०-१० (शम्भू ईश्वरलाल)
७ चौहानी दाता रु० १२४ दिल्ली
दक्षिण रु० १० लालकुद
पूर्व रु० १० लालकुद नं० १२१ दिल्ली किम्बल
पश्चिम अंगूष्ठ लालकुद
८ समाहता दाता घायं उचित लगान
९ भूमि का प्रकार ठाणे चूर्ण
१० नवंयत (लोज या कायमी) किम्बल
११ क्रम सं० २८/६२-६३
- इसे अत्यन्त सावधानी से रखें दूसरी तिनहीं दो जायगी।
- १० तिं.

उक्तसंकेत जमीन बिहार सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा विस्थापितों के पुनर्बास हेतु अंजित कर विस्थापित द्वारा त्रुटि १२६/स्पा संकामी के रूप में जमा करने पर उक्त जमीन पर घर बनाकार उसमें स्वयं एवं अपने परिवार के साथ रहने के लिये इनके साथ बनोवस्ती की जाती है ये समाहतां दाता घायं जमीन का लगान सात वर्ष साल दिया रखेंगे इस अंगूष्ठ को बिना सरकार की अनुमति के न तो आप बेत्र सकते हैं और न किसी अन्य को दीन दै सकते हैं।

जिला परियोजना विभाग, धनबाद-२०, ०००-२१-१-८६

सहस्रांका निदेशालय
परियोजनाकारी समिति एवं पुनर्बास, धनबाद।

P. M. S.

विहार ग्राम
(जगा विभाग)
निदेश नमूने परियोग भूमि एवं पुनर्वास बाबा बोकारी

पृष्ठ 2/45

राजस्थान

पालातो हील कारवाने के विस्तार में एवं पुनर्वास सत्र के अवधि जमीन हो पहुँच

ग्राम नामांकन और उपर्युक्त भूमि एवं जमीन नं० ३४ परा चारों हातपट चारों लाली
तेजी डी है

- १ शाकार दिव्यपित का नाम एवं प्रति गांडारामार्दी वो उत्तराखण्ड गढ़ी तो १८८८
- २ शिला पत्र नामांकन द्वारा माटो नाम गढ़ी वर्ता उत्तराखण्ड गढ़ी तो १८८८
- ३ सर्व चारों नं० ४३ (६२९ ३३)
- ४ पुनर्वास लाइ सं० १८१-१८२, १८३
- ५ शावाहन रुद्रा
- ६ चोहरा

उत्तराखण्ड लोटी १२५७ ता १२९१ विहार राजस्थान

दिव्यपत्र नं० १८१-१८२

पर्वत द्वारा विभाग है

दिव्यपत्र उत्तराखण्ड १८०

मगाहना द्वारा गण द्वितीय नाम

८ जमीन का प्रधार घृण प्र० १८०५

दिव्यपत्र (जीव गांडार्मी) नं० १८०५

९ कस नं० २४/६२-६३

(दिव्यपत्र संडुक के जन्मपात्र)

१० अन्यका निवास वो आदेश उत्तराखण्ड नं० १८०५

द्विवरोक्त जमीन दिवार सरकार (उत्तराखण्ड) द्वारा विस्तारितो के पुनर्वास हेतु अधिकार कर दिव्यपत्र
नं० १८०५/२ लाली जमीन के हो से जमीन करने पर उत्तराखण्ड पर विवर दिवार सरकार उत्तराखण्ड एवं अन्यते
दिव्यपत्रों के साथ रखने के लिए उत्तराखण्ड गांडार्मी ने जारी है जो ग्रामहठा द्वारा धार्व जमीन का नाम
दिव्यपत्र के साथ रखने के लिए उत्तराखण्ड गांडार्मी ने जारी है जो ग्रामहठा द्वारा धार्व जमीन का नाम
किसी अन्य को दान दे चक्कत है।

सहाय्य निदेश

परियोगना भूमि एवं पुनर्वास धनदाद

बोकारी

जिला परिषद प्रीस, धनदाद-२०, ५००-२१-१-५६

२५/१०८/२०११

J. Mehta